संख्या-73/2026/आई0/1261697/2026-5-6099/222/2023-6

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केमरी जनपद रामपुर के भवन निर्माण की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-626/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 31.12.2025 एवं संख्या-572/17फ/नि0नि0अ0/2025-26, दिनांक 05.12.2025 तथा स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-257/2025/आई/831019/2024-5-6099/222/2023-6, दिनांक 23.12.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 23.12.2024 द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य की मूल स्वीकृत लागत रूपये 1035.33 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुये रूपये 517.66 लाख नामित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को अवमुक्त किया गया।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.12.2025 एवं 31.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त एतदद्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केमरी जनपद रामपुर के भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत रूपये 1120.98 लाख (रूपये ग्यारह करोड बीस लाख अंठानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 यथा संशोधित मेंउल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च, 2025 तथा शासनादेश संख्या-219/2023/आई/ 381352/2023-5-6099/231/ 2021-6, दिनांक 05.09.2023 व शासनादेश संख्या-270/2023/आई/411093/2023-5-6099/321/2021-6, दिनांक 19.10.2023 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की होगी।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्ययोजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
6. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके उपरान्त परियोजना में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।
8. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।
9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
11. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुये लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
12. प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
13. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाय तथा आगामी किश्त हेतु प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से उक्त स्थिति से अवगत कराया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0संख्या- वित्त ई-3-346/दस-2025-26 दिनांक 06-03-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, रामपुर।
4. निदेशक (प्रशासन/चिकित्सा उपचार/नियोजन/बजट/प्राथ0स्वा0केन्द्र), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8. मुख्य चिकित्साधिकारी, रामपुर ।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ/रामपुर ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।